



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

Report Junction

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2004-2005

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालइ, चेन्नई - 600 002.



Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.

शेयरधारकों को अनुदेश : अति आवश्यक व तत्काल

1. जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 के लिए अंतरिम लाभांश, 2003-04 के लिए अंतिम लाभांश और 2004-05 के लिए अंतरिम लाभांश, अथवा धन वापसी आदेश प्राप्त नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे को फोलियो नं व आवेदन नं (वापसी आदेश संबंधी दावे के मामले में) सहित, निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालइ, चेन्नई 600 002 को प्रेषित करें।
2. ऐसे शेयर धारक जो अपने शेयर किसी डीपी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं अधिदेश में, पते, बैंक खाते, बैंक शाखा के नाम में परिवर्तन के लिए संबद्ध डीपी को ही संपर्क करना है न कि रजिस्ट्रार से। कृपया, नोट करें कि लाभांश अधिपत्र को डीपी द्वारा प्रेषित पते पर भेजा जाएगा अथवा डीपी द्वारा रजिस्ट्रार को 13.05.2005 जो रिकार्ड तारीख है, को दिए गए विवरणों के अनुसार खाते में जमा कर दिया जाएगा।

फोलियो का समेकन : यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानी अनेक फोलियो रखते हैं। शेयरधारकों को दक्ष सेवा प्रदान करने तथा ऐसे फोलियो का समेकन करने हेतु, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो का समेकन करें और शेयर प्रमाण-पत्र को पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट को पंजीयक के रिकार्डों में आवश्यक सुधार हेतु भेजें।

Instructions to shareholders: Most urgent and immediate

- 1) Shareholders who have not received dividend for Financial years 2000-01, 2001-02, 2002-03, Interim Dividend 2003-04, Final Dividend 2003-04 and Interim Dividend 2004-2005 are requested to send their claim along with Folio Numbers and in the case of non receipt of the Refund Orders claim along with Application Number to Investors Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.
- 2) The shareholders, who are holding shares in the electronic form through a DP, they have to approach the concerned DP only for any change in the mandated particulars like change of address, Bank a/c, name of the Bank, Branch etc., and not to the Registrar. Please note that the dividend warrant would be sent to the address furnished by DP or credited to the account as per particulars given by DP to the Registrar as on 13 05 2005 being the record date.
- 3) Consolidation of Folios: It has been found that many shareholders maintain more than one folios (i.e.) Multiple folios. In order to provide efficient service to shareholders as well as to consolidate such folios, we request the shareholders to consolidate folios and to send the share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in the records of Registrar.


इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालाइ, चेन्नई - 600 002.


Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.

वार्षिक - रिपोर्ट - Annual Report 2004 - 05
बोर्ड के निदेशक / BOARD OF DIRECTORS

श्री एस.सी.गुप्ता अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (30.4.2005 तक)	Shri S.C. Gupta Chairman & Managing Director (Till 30/4/2005)
श्री एआर.नागप्पन कार्यपालक निदेशक	Shri AR. Nagappan Executive Director
श्री मधुसूदन प्रसाद भारत सरकार के नामित निदेशक	Shri Madhusudhan Prasad Govt. Nominee Director
श्री सी एस मूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक	Shri C.S. Murthy RBI Nominee Director
श्री शंकरन श्रीनिवासन कर्मचारी निदेशक	Shri Sankaran Srinivasan Workman Director
श्री के. आनन्द कुमार अधिकारी निदेशक	Shri K.Ananda Kumar Officer Director
श्री किवालकर नितिन मोरेश्वर भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	Shri Kiwalkar Nitin Moreshwar Nominated by Government of India
डॉ. क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन शेयर धारक निदेशक	Dr. Christopher Thomas Kurien Shareholder Director
डॉ. हर्ष महाजन शेयर धारक निदेशक	Dr. Harsh Mahajan Shareholder Director
श्री एस के सहगल शेयर धारक निदेशक	Shri S.K. Sehgal Shareholder Director
श्री एम एन वेंकटेशन शेयर धारक निदेशक	Shri M.N. Venkatesan Shareholder Director

लेखा परीक्षक / AUDITORS

अमित राय एण्ड कं.
वेद एण्ड कं.
सी.एस. हरिहरण एण्ड कं.
एस.आर.आर.के. शर्मा एसोसिएट्स
एस के सिंघानिया एंड कं.
आर.एस. सिप्पय्या एण्ड कं.

Amit Ray & Co.
Ved & Co.
C.S.Hariharan & Co
SRRK Sharma Associates
S K Singhania & Co
R S Sipayya & Co

रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेंट

मेसर्स - केमिओ कॉर्पोरेट सर्विस लि.
(इकाई-आईओबी) सुब्रह्मण्यम बिल्डिंग
द्वितीय तल न.1 क्लब हाउस रोड
चेन्नई - 600 002.
फोन : 28460390
फैक्स : 28460129
ई मेल : cameo@cameoindia.com

Registrars & Share Transfer Agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building
II Floor, No.1, Club House Road
Chennai - 600 002
Tel : 28460390 (Six Lines)
Fax: 28460129
E'mail: cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालाइ, चेन्नई - 600 002.



Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.

वार्षिक - रिपोर्ट Annual Report 2004-05

विषय - सूची Contents	पृष्ठ / Page		पृष्ठ / Page
कार्यपालक निदेशक की ओर से		कार्पोरेट प्रबंधन पर लेखा - परीक्षकों का प्रमाण पत्र	
From the Executive Director's desk	3	Auditors' Certificate on Corporate Governance	51
शेयरधारकों को सूचना Notice to Shareholders	6	वार्षिक लेखे Annual Accounts	52
परिणाम - एक नज़र में Result at a glance	12	नकद प्रवाह विवरण और परीक्षकों का प्रमाण पत्र	
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	13	Cash Flow Statement and Auditors' Certificate	88
प्रबंधन - चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट		लेखा - परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	90
Management Discussion and Analysis Report	19	प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	94
कार्पोरेट प्रबंधन पर निदेशकों की रिपोर्ट		उपस्थिति-पर्ची Attendance Slip	95
Directors' Report on Corporate Governance	32		

वित्तीय कैलेंडर

FINANCIAL CALENDAR

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च 2005 के लिए		For the Financial year 1st April, 2004 to 31st March 2005	
वार्षिक रिपोर्ट की पोस्टिंग	14.05.2005 से 21.05.2005 तक	Posting of Annual Report	14.05.2005 to 21.05.2005
बही-समाप्ति की तारीखें	14.05.2005 (शनिवार) से 19.05.2005 (गुरुवार) तक (दोनों दिन शामिल) और लाभांश के लिए पात्र सदस्यों का निर्धारण करने के लिए	Book Closure Dates	14.05.2005 (Saturday) to 19.05.2005 (Thursday) (both days inclusive) for determining members eligible to receive dividend
प्रॉक्सी फॉर्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख	11.06.2005 (शनिवार)	Last date for Receipt of Proxy Forms	11.06.2005 (Saturday)
वा.सा.बै(एजीएम) की तारीख	17.06.2005 (शुक्रवार) पूर्वा. 10.15 बजे	Date of AGM	17.06.2005 (Friday) 10.15 A.M.
लाभांश की घोषणा	17.06.2005 (शुक्रवार)	Declaration of dividend	17.06.2005 (Friday)
लाभांश भुगतान तारीख	27.06.2005	Dividend Payment Date	27.06.2005
लाभांश अधिपत्रों के प्रेषण की संभाव्य तारीख	25.06.2005 से 30.06.2005	Probable Date of Despatch of Dividend Warrants	25.06.2005 to 30.06.2005



कार्यपालक निदेशक की कलम से FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR'S DESK



श्री ए.आर.नागप्पन

कार्यपालक निदेशक, इण्डियन ओवरसीज बैंक

Shri AR. NAGAPPAN

Executive Director, Indian Overseas Bank

प्रिय शेयर धारक,

वर्ष 2004-05 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हालांकि निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण रिपोर्ट में ब्यौरे उपलब्ध हैं, मैं यहाँ कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

वर्ष 2005-06 में हमारी अर्थव्यवस्था की हाल ही में सृजित गति और उसके बने रहने की संभावना से हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी नजर आ रही है और वह दीर्घावधि प्रगति के पथ पर है। संरचनात्मक क्षेत्र प्रारंभिक विकास के दौर में है। हमें उम्मीद है कि यह उछाल जारी रहेगा जिससे मूलभूत उद्योग, उच्च प्रगति के इस दौर का लाभ उठा सकेंगे। अर्थव्यवस्था ने बाहरी संवेदनशीलता को धीरे धीरे कम किया है। हमारे देश ने वैश्वीकरण को प्रगति के इंजन के रूप में स्वीकार किया है। निर्यात जीडीपी का 35% है जो अधिकांश विकसित देशों की तुलना में बेहतर है। नई उभरती प्रथम पीढ़ी के उद्यमी उभर कर आ रहे हैं। कुल जनसंख्या के प्रतिशत के मुकाबले कार्यशील जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इससे घरेलू बचतों में बढ़त को प्रोत्साहन मिलता है।

कृषि क्षेत्र में, हो सकता है कि उत्पादन का स्तर स्थिर बना रहे लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्र अपनी उच्च प्रगति की दर निरन्तर बनाए रखेंगे। सरकार आशा करती है कि ब्याज दरों में न्यूनता और कीमतों में स्थिरता बनी रहे। आशा की जाती है कि वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद लगभग 7% तक बढ़ेगा। इस

Dear Shareholders,

It is my pleasure to present your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2004-2005. While the details are available in the Directors' Report and the Management Discussion and Analysis Report, I would like to touch upon some of the key issues.

The outlook of our economy for 2005-06 appears to be very good, with the momentum generated in the recent past expected to sustain and it is in the path of long term growth. The infrastructure sector is in the initial growth phase. We expect the boom to continue which would result in the basic industries to enjoy high growth period. The economy has slowly reduced the external vulnerability. Our country has accepted globalization as an engine for growth. Exports is 35% of the GDP, which is better than most of the developed countries. New flourishing first generation entrepreneurs have emerged. The working population in gross numbers as also a percentage of the total population is significantly high. This adds to the increase in household savings rate.

The agriculture may show stable production levels but industry and services are likely to continue their high growth path. The Government expects the interest rates to remain soft and the prices stable. The GDP

बदलते परिवेश में अपने को खरा साबित करने के लिए बैंकों को, वर्ष 2004-05 की तरह उधार प्रदान करने में उच्चतर बढ़त हासिल करनी होगी।

वर्ष 2004-05 की मौद्रिक नीति का मूल सार, कीमत स्तर पर दृष्टि रखते हुए भी, यही था कि उधार में वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान की जाए। ऐसे में, न्यून और लचीली ब्याज दरों वाले परिवेश को अधिमानता दी गई। इस बीच, ब्याज दरें स्थिर बनी रही हैं, ऋण-सुपुर्दगी के मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया गया।

प्राथमिकता क्षेत्र में, बैंकों को सूचित किया गया था कि ₹.50,000/- तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति जरूरतों से छूट दी जाए और कृषि व्यवसाय व कृषि क्लिनिकों को ₹.5 लाख तक यह छूट दी जाए। अच्छी साखवाले निर्यातकों के लिए स्वर्ण कार्ड योजना शुरू की गई। मूलभूत सुविधा क्षेत्र को 5 वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले कारोबार की सीमा तक के लिए, 5 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता के साथ दीर्घावधि बांड जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति प्रदान की गई।

आपके बैंक की बात करें तो बैंक ने ऋण में बढ़त के मामले में अब तक की सर्वाधिक, ₹. 4981 करोड़ की बढ़त दर्ज की है। साथ ही साथ, आस्ति-देयता प्रबंधन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण, बैंक की लाभप्रदता में जबरदस्त सुधार हुआ है।

इस तथ्य को नोट करना भी महत्वपूर्ण होगा कि पिछले वर्ष के ₹.1325.20 करोड़ की तुलना में इस वर्ष परिचालन लाभ के रूप में अर्जित ₹.1336.80 करोड़, ट्रेजरी आय में कमी, एएफएस से एचटीएम संवर्ग में अंतरित प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन, जमा-ब्याज दरों में उछाल, उधार दरों में दबाव और वेतन बकाया रकमों का भुगतान करने के लिए पूरा प्रावधान करने के बावजूद प्राप्त की गई हैं।

गत वर्ष के 5.57% प्रतिशत की तुलना में, मार्च 2005 में जमाओं की मात्रा और जमाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद बैंक ने अपनी जमाओं पर देशीय लागत को 4.82% प्रतिशत तक बनाए रखा।

बैंक के पूंजीपर्याप्तता अनुपात में 12.49% प्रतिशत से 14.21% प्रतिशत तक सुधार आया। वर्ष के दौरान उपभोक्ता ऋणों और आवासीय ऋणों में तेज उधार वृद्धि और वर्धित जोखिम भार के मददे नज़र उपरोक्त वृद्धि महत्वपूर्ण है।

नीतिगत आस्ति देयता प्रबंधन नीति के अनुरूप बैंक ने सही समय पर एस.एल.आर प्रतिभूतियों के आधिक्य की भारी मात्रा में बिक्री के ज़रिए और अपनी कम लागत/बिना लागत की जमाओं के अंश को बढ़ा कर ऋण विस्तार के लिए निधियों का विनियोजन

growth level is anticipated to grow by about 7% in 2005-06. In order to cope up with this scenario, Banks have to gear up for higher credit growth as in 2004-05.

The crux of the monetary policy for 2004-05 was to provide adequate liquidity to meet credit growth even while keeping a watch on price level. Soft and flexible interest rate environment was preferred. While interest rates were stable, credit delivery aspect received greater attention.

In priority sector, banks were advised to waive margin/security requirements for farm loans up to Rs. 50,000 and in the case of agri-business and agri-clinics for loans up to Rs. 5 lakh. Gold Card Scheme was introduced for creditworthy exporters. Banks were allowed to raise long-term bonds with a minimum maturity of 5 years to the extent of their exposure of residual maturity of more than 5 years to the infrastructure sector.

Turning to your bank's performance, the highest ever credit growth of Rs 4981 crores has been recorded. This coupled with balanced approach of Asset Liability management enabled the bank to post perceptible improvement in profitability.

It is significant to note that growth in operating profit of Rs 1336.80 crores as against Rs 1325.20 crores, during the year was achieved despite lower Treasury earning, revaluation of securities transferred from AFS to HTM category, scaling up of deposit rates, pressure on lending rates and full provision for wage arrears.

The bank contained the domestic cost of deposits at 4.82 % in March 2005 as against 5.57% in the previous year in spite of rise in the volume of deposits and rise in the interest rates in the deposits.

The Capital adequacy ratio of the bank has improved to 14.21% from 12.49%. This is significant considering the steep credit growth and enhanced risk weights assigned to the consumer loans and housing loans during the year.

As part of strategic Asset-Liability Management policy, the Bank funded its credit expansion largely by offloading surplus SLR securities at the opportune times and increasing its share of low cost / no cost deposits. Low cost deposits comprised 39.50 percent



किया। कुल जमाओं में कम लागत जमाओं का अंश 39.50% रहा जो पिछले वर्ष 34.90% था।

प्राथमिकता क्षेत्र उधारों के तहत बैंक का विनियोजन निवल बैंक ऋण का 43.47% रहा जो 40% के राष्ट्रीय मानदण्ड से काफी ऊपर रहा। मार्च 2005 में निवल बैंक ऋण में कृषि उधार का प्रतिशत 18.06% रहा।

वर्ष के दौरान कृषि उधार में वृद्धि रु.894 करोड़ थी यह वृद्धि 30.43% रही। इस वर्ष 209229 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इस प्रकार वर्ष के अन्त तक जारी किए कुल कार्डों की संख्या 825532 रही। वर्ष के दौरान रु.143 करोड़ के ऋण देकर 32402 स्वयं सहायता समूहों को ऋण संयोजन प्रदान किया गया।

हमारे शेयर धारकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि बैंक के कोयम्बतूर और बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालयों को क्षेत्र में प्रायोजना, निर्देशन और शाखाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आइ.एस.ओ.9001:2000 प्रमाणन की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 100% कम्प्यूटरीकरण करने के अतिरिक्त बैंक ने प्रथम चरण में 27 शाखाओं में स्वविकसित सॉफ्टवेयर के जरिए सफलतापूर्वक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आरंभ किया।

आपके बैंक को **आउट लुक मनी** द्वारा वर्ष 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ **आइ.पी.ओ.- पी.एस.यू** माना गया है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को निरन्तर दूसरे वर्ष फोर्ब्स 2000 की रैंकिंग के अनुसार विश्व में उच्चतम कॉर्पोरेट की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल की गई 30 भारतीय फर्मों में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एक है।

बैंक जीडीआर के जरिए लगभग सात करोड़ शेयरों का एक और इक्विटी निर्गम लाने की योजना बना रहा है। इससे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बैंक की स्थिति सुदृढ़ होगी।

मैं अपने सभी निवेशकों और ग्राहकों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। बैंक को ग्राहकोपयोगी बनाने के लिए हमारे कर्मचारियों ने जो अथक परिश्रम किया उसके लिए मैं अपने सभी कर्मचारियों का आभारी हूँ। मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके सतत और उचित मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

भवदीय

एआर.नागप्पन
कार्यपालक निदेशक

of the total deposits as against 34.90 percent in the previous year.

The bank's deployment under Priority Sector Lending constituted 43.47 percent of Net Bank Credit, well above the national norm of 40 percent. Agri lending to Net Bank Credit was 18.06 percent as of March 2005. Increase in agri lending during the year was Rs.894 crore at 30.43 percent growth. 209229 Kisan Credit Cards were issued during the year, taking the total number of cards issued to 825532 at the end of the year. 32402 Self-Help Groups were credit-linked during the year with a credit outlay of Rs 143 crore during this year.

Our shareholders will be happy to note that two of the Regional offices of the bank Viz., Coimbatore and Bangalore have been accredited with ISO 9001:2000 certification for planning, directing and ensuring growth of branches in the Region. Apart from achieving 100 percent computerisation, the Bank has successfully launched Core Banking Solution with in-house developed software in 27 branches in the first phase.

Your bank has been adjudged the "BEST IPO - PSUs" for 2004 by OUTLOOK MONEY. For the second consecutive year, IOB is listed in the coveted 2000 Top Corporates in the World as per Forbes 2000 ranking. IOB is one among the 30 Indian firms to be ranked in the list.

The bank is planning for yet another Equity issue of about seven crore shares through the GDR route. This would give the bank a surge at the international level.

I would like to take this opportunity to thank all our investors and customers for their continued support. I would also like to express my gratitude to all our employees for their relentless efforts towards making your Bank a customer friendly Bank. I would also like to express my sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for their continued and valid guidance.

Yours sincerely,

AR. NAGAPPAN
EXECUTIVE DIRECTOR

शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की पांचवी वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार 17 जून 2005 को प्रातः 10.15 बजे रानी सीतै हाल, 603 अण्णा सालाइ, चेन्नई 600006 में निम्नलिखित व्यवसाय हेतु आयोजित की जाएगी।

1. 31 मार्च 2005 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना।
2. सार्वजनिक निर्गम और/अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, उचित प्रीमियम पर, जीडीआर जारी करते हुए विदेशी निवेशकों को 7 करोड़ ईक्विटी शेयर प्रस्तावित करते हुए बैंक की चुकता पूंजी में रु. 70 करोड़ की वृद्धि पर विचार करने के लिए और इसे ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए और इसे परिशोधनों सहित अथवा रहित पास करने के लिए निम्नलिखित संकल्प लिया गया:

" संकल्प किया गया कि इण्डियन ओवरसीज बैंक शेयर और बैठकें विनियमन 2003 का पालन करते हुए और सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक और सभी संबंधित और प्रासंगिक प्राधिकारियों के समय समय पर जारी और उनके द्वारा लागू विनियमनों/मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, का पालन करते हुए और भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य सभी विनियामक प्राधिकारियों के ऐसे अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और मंजूरीयों का पालन करते हुए और ऐसे अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और मंजूरीयों को प्रदान करते समय उनके द्वारा निर्धारित निबंधनों एवं परिशोधनों का पालन करते हुए, बैंक के शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करके उपयुक्त प्रीमियम के साथ रु. 10/- प्रत्येक के 7,00,00,000 ईक्विटी शेयरों का निर्धारण करने, जारी करने, प्रस्तावित एवं आबंटित करने, जिसे कि एक या अधिक संख्या में निजी अथवा सार्वजनिक प्रस्तावों के रूप में देशीय अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रस्तावित करने और बैंक के निदेशक मंडल (आगे इसे 'मंडल' नाम से संबोधित किया जाएगा जिसमें 'मंडल' द्वारा गठित कोई भी समिति और इसके उपरांत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अथवा इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित की जाने वाली कोई भी समिति को इसमें शामिल माना जाएगा) द्वारा, नए अथवा अतिरिक्त ईक्विटी शेयरों के रूप में अथवा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के रूप में सीधे जारी करने व आबंटित करने, जिसे कि विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय रुपयों में व्यक्त करने के मामले में जो उचित समझा जाएगा, निर्धारित किया जाएगा

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the FIFTH Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, the 17th June 2005 at 10 15 A.M at RANI SEETHAI HALL, 603, Anna Salai, Chennai-600006, to transact the following business.

1. To discuss the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2005, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2005, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To consider increasing the Paid-Up Capital of the bank by Rs 70 crores by offering 7 crore equity shares to overseas investors, through issue of GDRs, at an appropriate price through a public issue and/or private placement and to list the same at overseas stock exchange/s and to pass, with or without modification(s), the following Resolution:

"RESOLVED THAT subject to the provisions of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003 and the regulations/guidelines, if any, prescribed by the Securities & Exchange Board of India (SEBI), Reserve Bank of India (RBI) and all other concerned and relevant authorities from time to time and to the extent applicable and subject to such approvals, consents, permissions, and sanctions of Government of India (GOI), RBI, SEBI and all other regulatory authorities and subject to such conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consents, permissions and sanctions., the approval of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the creation, issuance, offer and allotment of 7,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each with an appropriate premium, in one or more private or public offerings and whether in domestic or any other international market(s) and whether by way of direct issue and allotment of new or additional equity shares or in the form of Global Depository Receipts whether expressed in foreign currency or Indian Rupee or otherwise, subject to such conditions as the Board of Directors of the Bank (hereinafter called 'the Board' which term shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise



और इस उद्देश्य के लिए निश्चित किए गए व्यवस्थापकों और परामर्शदाताओं के साथ संपर्क करके, इनसे संबंधित निबंधनों को उचित रूप में निर्धारित किया जाएगा, साथ ही साथ, समग्र रूप से, निवेशकों को जीडीआर जारी करने के माध्यम से, चाहे वे निवासी हो और/अथवा अनिवासी भारतीय हों, लेकिन यह एनआरआई, एफ आई आई, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों, व्यक्तियों अथवा न्यासियों अथवा अन्य के लिए सीमित नहीं होंगे, ऐसे निवेशक, बैंक के शेयरधारक हों अथवा न हों, विवरण-पत्रिका और/अथवा प्रस्ताव-पत्र अथवा परिपत्र और/अथवा निजी/अधिमानता प्लेसमेंट आधार पर किसी एक या एक से अधिक बार में, किसी कीमत अथवा कीमतों पर, किसी कटौती पर, समान कीमत पर अथवा बाजार की कीमत अथवा कीमतों के प्रीमियम पर, इस प्रकार से और जहाँ आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा अंडर राइटर्स और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्य से परामर्श प्राप्त करके, इन्हें जारी किए जाते समय, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, मंडल द्वारा ऐसे निबंधनों व शर्तों पर निर्णय किया जा सकेगा।

"यह भी संकल्प किया गया कि बैंक और/अथवा मंडल द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी अथवा निकाय द्वारा डिपॉजिटरी रसीदें जारी की जा सकती हैं जो बैंक की पूंजी में, धारक, परक्राम्य अथवा पंजीकृत रूप में ईक्विटी शेयरों के रूप में और ऐसे आवश्यक लक्षणों और गुणों के साथ दर्शायी जाएंगी और बाजार में प्रचलित पद्धतियों एवं विनियमों (भारत में या इसके बाहर के एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करवाने सहित) के अनुसार व्यापार योग्यता और आसान अंतरणीयता उपलब्ध करवाई जाए।

"यह भी संकल्प किया गया कि पहले उल्लिखित, जारी किए जाने वाले 7 करोड़ ईक्विटी शेयर इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर एवं बैंडकें) विनियम 2003 के अधीन होंगे और बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ ये हर तौर पर समान माने जाएंगे और सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुरूप यदि किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा की जाती है तो ऐसी घोषणा के समय लागू नियमों के अनुसार वे पात्र होंगे।

आगे, यह संकल्प किया गया कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के उद्देश्य हेतु मंडल को यह प्राधिकार दिया जाए कि उन्हें ऐसे सभी कार्यों, क्रियाकलापों, मामलों तथा विषयों का निपटान करने के लिए, जिन्हें कि वे अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक अथवा वांछनीय मानते हों उन्हें बिना किसी सीमा के प्रबंधन, अंडरराइटिंग विपणन, सूचीबद्धीकरण, व्यापार करने, डिपॉजिटरी, अभिरक्षक, पंजीयक अदाकर्ता और परिवर्तनकर्ता एजेंट न्यासी के रूप में कार्य करने और किसी भी प्रकार के प्रस्ताव-दस्तावेज जारी करने और सभी आवेदन पत्रों, फाइलिंग्स, विलेखों दस्तावेजों को लिखने और हस्ताक्षर करने और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की फीस, कमीशन, पारिश्रमिक

its powers including the powers conferred by this Resolution) may consider appropriate to prescribe as part of terms thereof in consultation with arrangers and consultants retained for the purpose including inter alia, that the aggregate, through an issue of 'GDRs to investors (whether residents and /or non residents including but not limited to NRIs, FIIs, International Investors, Institutions, banks, incorporated bodies, individuals or trustees or otherwise, whether or not such investors are shareholders of the Bank, through prospectus and/or offer letter or circular and/or on private/preferential placement basis, in one or more tranches, at such price or prices, at a discount, equal to or at a premium to market price or prices, in such manner and where necessary in consultation with Lead Managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in their absolute discretion, decide at the time of issue."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank and/or any agencies or body authorised by the Board may issue depository receipts representing the underlying equity shares in the capital of the Bank in bearer, negotiable, or registered form with such features and attributes as may be required and to provide for the tradability and free transferability thereof as per market practices and regulations (including listing on one or more stock exchanges in or outside India)."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new 7 Crore Equity Shares to be issued shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003 and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary or desirable for such purpose, including without limitation, the entering into arrangements for managing, underwriting, marketing, listing, trading, acting as depository, custodian, registrar, paying and conversion agent, trustee and to issue any offer documents and sign all applications, filings, deeds, documents and writing and to pay any fees, commissions, remuneration, expenses relating thereto

अदा करने और ऐसे निर्गमों अथवा आबंटनों के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, कठिनाइयों अथवा शंकाओं का निपटान करने हेतु, इनके संपूर्ण विवेकाधिकार में जो उचित समझा जाए, निर्णय करने का प्राधिकार दिया जाए।

आगे, यह भी संकल्प किया गया कि किसी कारण के चलते, प्रायोजित जीडीआर प्रस्ताव आकार नहीं ले पाते हों तो प्रायोजित किए जाने वाले जीडीआर निर्गम पर किए गए सभी संबंधित खर्च बैंक द्वारा वहन किए जाएंगे।

आगे, यह संकल्प किया गया कि मंडल को यह प्राधिकार दिया जाए कि उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा महा प्रबंधक (लेखे) को दिए गए सभी अथवा कुछ अधिकार दिए जाएं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



चेन्नई

27.04.2005

सतीश चन्द्र गुप्ता

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

and with power on behalf of the Bank to settle all questions, difficulties or doubts, that may arise in regard to such issue(s) or allotment(s) as it may, in its absolute discretion deem fit."

"RESOLVED FURTHER that in the event of the sponsored GDR offering is not getting concluded for any reason, all expenses incurred in connection with the sponsored GDR issue be borne by the bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director or General Manager (Accounts) of the Bank to give effect to the aforesaid resolution."

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS



Chennai

27.04.2005

S.C.GUPTA

Chairman and Managing Director

नोट

1. सूचना की मद संख्या 2 के संबंध में, मूलभूत तथ्यों के उल्लेख पर स्पष्टीकरण-ब्योरे निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैं :

2. प्राक्सी की नियुक्ति

शेयर धारक को बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हक है और प्रतिनिधि बैंक का शेयर धारक हो, यह जरूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले, शनिवार, 11.06.2005 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति से पहले जमा कर देना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर धारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्य प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो, जिसमें

NOTES

1. The explanatory statement setting out the material facts in respect of item No 2 of the Notice is furnished below

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER, ENTITLED TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however, be deposited at the Head office of the Bank not less than four days before the closing hours of the Bank on Saturday, 11 06 2005

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the chairman of the